रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 540] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 23, 2001/कार्तिक 1, 1923
No. 540] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2001/KARTIKA 1, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2001

सा.का.नि. 798(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कांडला पत्तन न्यास (विभाग प्रमुखों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 28) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करता है :

1. ये विनियम ''कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) संशोधन विनियम, 2001'' कहे जायेंगे।

2. ये विनियम भारतीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. कांडला पोर्ट ट्रस्ट (विभाग प्रमुखों की भर्ती) विनियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

(i) 3 परिभाषाएं—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(च) ''चयन पद'' से एक ऐसा पद अभिप्रेत है जिस पर योग्यता के आधार पर, जिसके लिए यह आवश्यक है कि गोपनीय पंजी की समग्र ग्रेडिंग के निर्देश चिह्न ''बहुत अच्छा'' से कम नहीं हो, नियुक्ति की जानी है।

(ii) विनियम 5 के अधीन, अनुसूची के कॉलम संख्या 8 के मद्दे भर्ती की पद्धति निम्नवत् होगी :

''कॉलम 8 : भर्ती की पद्धति—महा पत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।''

(iii) ''12 भर्ती की पद्धति—(1)(क) जब कभी विभाग प्रमुख का ऐसा पद रिक्त होता है जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, पद को भरने से संबंधित भर्ती की विविध पद्धतियां अर्थात् महा पत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अपनाई जाएंगी। तद्नुसार अध्यक्ष अन्य महापत्तनों से पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मंगाएंगे और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में से मंगाएंगे और पद पर पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति हेतु सभी पात्र अधिकारियों के नाम, आयु, योग्यताएं, अनुभव तथा अन्य सुसंगत विवरण अपनी सिफारिश सहित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।''

(iv) विभाग प्रमुख (अपतट तेल टर्मिनल) वाडीनार के पद की अनुसूची में उक्त खंड 3(i),(ii) तथा (iii) के अधीन लागू संशोधनों के सिवाय अनुसूची के कॉलम संख्या 1 के अधीन पद का नाम और कॉलम संख्या 5 के अधीन शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं भी निम्नवत् संशोधित की जाती हैं :—

''कॉलम संख्या 1 :

पद का नाम	—	मुख्य प्रचालन प्रबंधक''

''कॉलम संख्या 5 :

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	—	आवश्यक :
		सिविल/यांत्रिकी/विद्युत/समुद्री अभियांत्रिकी में डिग्री/एम. ओ. टी. प्रथम श्रेणी के रूम में सक्षमता का प्रमाणपत्र/मास्टर मरीनर/एम.एस.सी. (भौतिक शास्त्र अथवा गणित)। प्रबंधन में स्नातकोत्तर को वरीयता।
		अनुभव :
		किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्धसरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत से सिविल/यांत्रिकी/विद्युत/समुद्री अभियांत्रिकी/एम.ओ.टी. प्रथम श्रेणी/पोतचालन/समुद्री सर्वेक्षण का 10 वर्ष का अनुभव''

(v) कांडला पोर्ट ट्रस्ट में विभाग प्रमुखों के पदों के लिए संशोधित भर्ती नियम वही होंगे जो अनुबंध I से VIII पर अनुसूचियों में दर्शाए गए हैं।

[सं. पी आर 12012/20/2001/पीई-1]

आर.के. जैन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : (i) मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 20-2-1991 के सा.का.नि. 83 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(ii) प्रथम संशोधन दिनांक 14-10-1991 के सा.का.नि. 628 (अ) द्वारा किया गया था।

(iii) द्वितीय संशोधन दिनांक 8-9-1992 के सा.का.नि. 760 (अ) द्वारा किया गया था।

अनुबंध-I

सचिव के पद से संबंधित भर्ती नियम

पद का नाम	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5
सचिव	रु. 18500-450-23900	योग्यता के आधार पर चयन जिसके लिए यह आवश्यक है कि गोपनीय पंजी की समग्र ग्रेडिंग के निर्देश चिह्न ''बहुत अच्छा'' से कम नहीं हो।	45 वर्ष	(i) **आवश्यक :** **शैक्षणिक अर्हताएं :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष (ii) **अनुभव :** किसी माहापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में प्रबंधकार की हैसियत से प्रशासनिक/कार्मिक सामान्य प्रबंध से संबंधित काम करने का 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** कार्मिक प्रबंध/औद्योगिक संबंध में स्नात्कोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा विधि में स्नातक डिग्री

सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे पद-श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
6	7	8	9	10
आयु—नहीं अर्हताएं—हां	2 वर्ष	महापत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :** महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा अथवा ऐसे अधिकारियों द्वारा जिन्होंने उप सचिव/वरिष्ठ संपदा प्रबंधक के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी)	(i) अपर सचिव/संयुक्त सचिव पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (iii) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में ब्रहद् अनुभव प्राप्त हो —सदस्य

अनुबंध-II

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पद से संबंधित भर्ती नियम

पद का नाम	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी	रु. 18500-450-23900	योग्यता के आधार पर चयन जिसके लिए यह आवश्यक है कि गोपनीय पंजी की समग्र ग्रेडिंग के निर्देश चिह्न ''बहुत अच्छा'' से कम नहीं हो।	45 वर्ष	(i) **आवश्यक :** किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय के वित्त विभाग में प्रबंधकार की हैसियत से कम से कम 5 वर्ष काम करने के अनुभव सहित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेन्ट संस्थान (सी.ए.) की सदस्यता/भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान की सदस्यता (आई.सी.डब्ल्यू.ए.)

सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रति-नियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे पद-श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
6	7	8	9	10
आयु—नहीं अर्हताएं—हां केन्द्रीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवाओं से संबंधित और एस.ए.एस. अर्हता युक्त अधिकारियों के मामले में शिथिलनीय	2 वर्ष	महापत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रति-नियुक्ति द्वारा :** महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा अथवा ऐसे अधिकारियों द्वारा जिन्होंने उप वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक न होगी)	(i) अपर सचिव/संयुक्त सचिव पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (iii) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में ब्रहद् अनुभव प्राप्त हो —सदस्य

अनुबंध-III

यातायात प्रबंधक के पद से संबंधित भर्ती नियम

पद का नाम	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5
यातायात प्रबंधक	रु. 18500-450-23900	योग्यता के आधार पर चयन जिसके लिए यह आवश्यक है कि गोपनीय पंजी की समग्र ग्रेडिंग के निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" से कम नहीं हो।	45 वर्ष	(i) **आवश्यक :** **शैक्षणिक अर्हताएं :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष (ii) **अनुभव :** किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में प्रबंधकार की हैसियत से अधिमानत: महापत्तन से संबंधित समुद्री यातायात/परिवहन कार्य का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव।

सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रति-नियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे पद-श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
6	7	8	9	10
आयु—नहीं अर्हताएं—हां	2 वर्ष	महापत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रति-नियुक्ति द्वारा :** महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा अथवा ऐसे अधिकारियों द्वारा जिन्होंने उप यातायात प्रबंधक के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी)	(i) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (iii) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में बृहद् अनुभव प्राप्त हो —सदस्य

अनुबंध-IV

मुख्य अभियन्ता के पद से संबंधित भर्ती नियम

पद का नाम	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5
मुख्य अभियन्ता	रु. 18500-450-23900	योग्यता के आधार पर चयन जिसके लिए यह आवश्यक है कि गोपनीय पंजी की समग्र ग्रेडिंग के निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" से कम नहीं हो।	45 वर्ष	(i) **आवश्यक :** **शैक्षणिक अर्हताएं :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा समकक्ष (ii) **अनुभव :** किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में प्रबंधकार की हैसियत से पोर्ट आयोजन तथा निर्माण कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत से परियोजना प्रबंधन का अनुभव

सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे पद-श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
6	7	8	9	10
आयु—नहीं अर्हताएं—हां	2 वर्ष	**प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :** महापत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :** महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश अथवा दो वर्षों के अनुभव सहित अपर मुख्य अभियंता के पद धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा अथवा ऐसे अधिकारियों द्वारा जिन्होंने अधीक्षक अभियंता के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी)	(i) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (iii) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में बृहद् अनुभव प्राप्त हो —सदस्य

अनुबंध-V

मुख्य यांत्रिक अभियंता के पद से संबंधित भर्ती नियम

पद का नाम	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5
मुख्य यांत्रिक अभियंता	रु. 18500-450-23900	योग्यता के आधार पर चयन जिसके लिए यह आवश्यक है कि गोपनीय पंजी की समग्र ग्रेडिंग के निर्देश चिह्न ''बहुत अच्छा'' से कम नहीं हो।	45 वर्ष	(i) **आवश्यक :** **शैक्षिक अर्हताएं :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी अथवा विद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा समकक्ष अथवा प्रथम श्रेणी एम. ओ. टी. प्रमाणपत्र (मोटर) अथवा समकक्ष (ii) **अनुभव :** किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में प्रबंधकार की हैसियत से यांत्रिक, विद्युत अथवा समुद्री अभियांत्रिकी (एम ओ टी प्रथम श्रेणी) संबंधी काम करने का 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** प्रबंधकार की हैसियत से परियोजना प्रबंधन और नौभार ग्रहस्तन उपस्करों तथा पोर्ट जलयानों के परिचालन का अनुभव

सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में पद-श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
6	7	8	9	10
आयु—नहीं अर्हताएं—हां	2 वर्ष	महापत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा** : महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद पर अथवा अपर मुख्य यांत्रिक अभियंता के पद पर 2 वर्षों की नियमित सेवा करने वाले अधिकारियों द्वारा जिन्हें अधिशासी अभियंता (यांत्रिक)/अधिशासी अभियंता (विद्युत) अथवा समुद्री अभियंता ग्रेड 1 के समकक्ष किसी निचले पद पद कम से कम लगातार 10 वर्षों की सेवा का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी)	(i) अपर सचिव/संयुक्त सचिव पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, कांडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (iii) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में बृहद् अनुभव प्राप्त हो —सदस्य

अनुबंध-VI

उप संरक्षक के पद से संबंधित भर्ती नियम

पद का नाम	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5
उप संरक्षक	रु. 18500-450-23900	योग्यता के आधार पर चयन जिसके लिए यह आवश्यक है कि गोपनीय पंजी की समग्र ग्रेडिंग के निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" से कम नहीं हो।	45 वर्ष	(i) **आवश्यक :** **व्यावसायिक :** पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जलयान के मास्टर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष (ii) **अनुभव :** विदेशगामी जलयान के मास्टर के रूप में कार्य करने का अथवा किसी महापत्तन न्यास में पायलट कार्य और निकर्षण कार्य का 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** पोर्ट परिचालन का अनुभव।

सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रति-नियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे पद-श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
6	7	8	9	10
आयु—नहीं अर्हताएं—हां	2 वर्ष	महापत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रति-नियुक्ति द्वारा :** किसी महापत्तन न्यास में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा ऐसा अधिकारी जिसने हार्बर मास्टर के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 3 वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी)	(i) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय—अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (iii) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में बृहद् अनुभव प्राप्त हो —सदस्य

अनुबंध-VII

मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से संबंधित भर्ती नियम

पद का नाम	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	रु. 14500-350-18700	योग्यता के आधार पर चयन जिसके लिए यह आवश्यक है कि गोपनीय पंजी की समग्र ग्रेडिंग के निर्देश चिह्न ''बहुत अच्छा'' से कम नहीं हो।	45 वर्ष	(i) **शैक्षणिक अर्हताएं :** चिकित्सा विज्ञान की किसी भी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा स्नातक होना चाहिए। (ii) **अनुभव :** किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/स्वायत्त अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन से संबंधित किसी मुख्य अस्पताल में कम से कम 5 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव सहित कम से कम 10 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रति-नियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे पद/श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
6	7	8	9	10
आयु—नहीं अर्हताएं—हां	2 वर्ष	महापत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति द्वारा :** ऐसा अधिकारी जिसने कंडला पोर्ट ट्रस्ट में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो। **स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :** महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 5 वर्षों की सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी)	(i) अपर सचिव/संयुक्त सचिव पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (iii) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मनोनीत ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में बृहद् अनुभव प्राप्त हो —सदस्य

अनुबंध-VIII

अपतट तेल टर्मिनल विभाग प्रमुख के पद से संबंधित भर्ती नियम

पद का नाम	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5
मुख्य प्रचालन प्रबंधक	रु. 18500-450-23900	योग्यता के आधार पर चयन जिसके लिए यह आवश्यक है कि गोपनीय पंजी की समग्र ग्रेडिंग के निर्देश चिह्न "बहुत अच्छा" से कम नहीं हो।	45 वर्ष से अधिक नहीं	(i) **आवश्यक :** सिविल/यांत्रिकी/विद्युत/समुद्री अभियांत्रिकी में डिग्री/एम ओ टी प्रथम श्रेणी के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र/मास्टर मरीनर/एम.एस.सी. (भौतिक शास्त्र अथवा गणित)। प्रबंधन में स्नातकोत्तर को वरीयता दी जाएगी। (ii) **अनुभव :** किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय में उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत से सिविल/यांत्रिकी/विद्युत/समुद्री अभियांत्रिकी (एम ओ टी प्रथम श्रेणी/पोत चालन/समुद्री सर्वेक्षण का 10 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत से प्रशासन और परियोजना प्रबंधन का अनुभव।

सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे पद/श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा	चयन समिति की संरचना
6	7	8	9	10
आयु—नहीं अर्हताएं—हां	2 वर्ष	महापत्तनों से प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :** किसी महापत्तन न्यास/सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा अथवा ऐसे अधिकारियों द्वारा जिन्होंने अधिशासी अभियंता (सिविल)/यांत्रिक/विद्युत/समुद्री अभियांत्रिकी (एम.ओ.टी. प्रथम श्रेणी)/जलीय अभियंता के समकक्ष किसी निचले पद अथवा उससे उच्चतर पद पर लगातार 10 वर्षों की सेवा की हो। अथवा हार्बर मास्टर के पद पर तीन वर्षों का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी)	(i) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय —अध्यक्ष (ii) अध्यक्ष, कंडला पोर्ट ट्रस्ट —सदस्य (iii) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित ऐसा अधिकारी जिसे इस क्षेत्र में बृहद् अनुभव प्राप्त हो —सदस्य

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2001

G.S.R. 798 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (i) of Section 124, read with Sub-Section (i) of Section 132, of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Department) Amendment Regulations, 2001 made by the Board of Trustees of the Port Kandla Port Trust as set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

Schedule

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (28 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following amendments to the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Regulations, 1991 :

1. These Regulations shall be called, Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Amendment Regulations, 2001.
2. These Regulations shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette of India.
3. In the Kandla Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Regulations, 1991 the following amendments are made :

(i) "3. **Definitions**—In these Regulations, unless the context otherwise requires".

(g) **"Selection Post"** means a post to which appointment is to be made on the basis of merit for which the bench-mark in the over all grading in the Confidential Rolls should not be below **"Very Good".**

(ii) "Under Regulations 5, the **Method of Recruitment** against column 8 of the Schedule shall be :

"Column 8 : **Method of Recruitment**—By promotion/transfer/deputation from the Major Ports, failing which by transfer or deputation of officers in Government/Semi-Government Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies failing which by direct recruitment."

"12. **Manner of recruitment**—(1) (a) : When a post of Head of Department to which these regulations apply falls vacant, the composite method of recruitment for filling up the post, i.e. by promotion/transfer/deputation from the Major Ports failing which by transfer or deputation of officers in Government/Semi-Government Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies shall be adopted. Accordingly, the Chairman shall call for applications from the eligible candidates from other Major Ports, failing which from Government/Semi-Government Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies and forward to the Appointing Authority names, age, qualifications, experience and other relevant particulars of all the officers who are eligible for promotion/transfer/deputation to the post together with his recommendations."

(iii) In the Schedule for the post of Head of Department (Offshore Oil Terminal) vadinar, apart from the amendment effected under clause 3(i), (ii) and (iii) above, the nomenclature of the post under column No. 1 and education & other qualifications under column No. 5 of the Schedule shall also stand amended as under :

"Column No. 1 :

Name of post—	**Chief Operations Manager**

Column No. 5 :

Educational & Other qualifications Required for direct Recruitment.	**Essential :** Degree in Civil/Mechanical/Electrical/Marine Engineering/Certificate of Competency as MOT 1st Class/Master Mariner/M.Sc. (Physics or Maths.). Post-graduation in Management will be preferred.
	Experience : 10 years experience in a responsible capacity in Civil/Mechanical/Electrical/Marine Engineering/MOT Ist Class/Pilotage/Marine Survey in any Major Ports/Government or Semi-Government Department/Public Sector Undertakings or Autonomous Body."

(v) The Amended Recruitment Rules for the posts of Heads of Departments in Kandla Port Trust shall be as shown in the Schedules at **Annexure-I to VIII.**

[No. PR-12012/20/2001-PE-1]
R.K. JAIN, Jt. Secy.

Foot Note

(i) The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R. 83(E) dated 20-02-1991;

(ii) First Amendment made vide G.S.R. 628(E) dated 14-10-1991;

(iii) Second amendment made vide G.S.R. 760(E) dated 08-09-1992.

ANNEXURE-I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SECRETARY

Name of Post	Pay Scale (Rs)	Whether selection or non selection post	Age limit for Direct recruitment	Education and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5
Secretary	18500-450-23900 Rs.	Selection by merit for which the bench-mark in the overall grading in the Confidential Rolls should not be below Very Good.	45 years	(i) **Essential** Educational qualification : Degree of recognized University or equivalent. (ii) **Experience** 10 years experience in a Managerial position dealing with administration/ personnel/general management in a Major Port Trust/Govt. or Semi Govt. Department/Public Sector or Autonomous Body. **Desirable** Post graduate degree/diploma in Personnel Management/Industrial Relations or Bachelors Degree in Law.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/ transfer/ deputation	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/transfer	In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which deputation/ transfer to be made	The compositon of selection committee
6	7	8	9	10
Age No. Qualification : Yes	2 years	By promotion/transfer/ deputation from the Major Ports, failing which by transfer of deputation of officers in Govt/Semi-Govt. Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, failing which by direct recruitment	By promotion/transfer/ deputation : Officers holding analogous posts or with five years regular service in the lower post equivalent to or above Deputy Secretary in Major Port Trust/ Govt. or Semi-Govt. Deptt./Public Sector or Autonomous Body (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Shipping —Chairman (ii) Chairman Kandla Port Trust —Member (iii) An officer having wide experience in the field as nominated by Ministry of Shipping. —Member

ANNEXURE-II

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Name of Post	Pay Scale (Rs.)	Whether selection or non selection post	Age limit for Direct recruitment	Education and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5
Financial Advisor & Chief Accounts Officer	18500-450-23900	Selection by merit for which the bench-mark in the overall grading in the Confidential Rolls should not be below "Very Good"	45 years	(i) **ESSENTIAL** Membership of the Institute of the Chartered Accountants of India C.A./ Membership of the Institute of Costs and Works Accountants of India (I.C.W.A.I.) with not less than 5 years experience in a managerial position in a Finance Department of a Major Port Trust/Govt. or Semi Govt. Deptt./Public Sector or Autonomous Body.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/ transfer/ deputation	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/ transfer	In case of recruitment by promotion/ deputation/ Transfer, grades from which deputation/ transfer to be made	The compositon of selection committee
6	7	8	9	10
Age : No. Qualification : Relaxable in the case of officers belonging to Central Accounts & Audit Services & those with S.A.S. Qualifications	2 years	By promotion/transfer/ deputation from the Major Ports, failing which by transfer or deputation of officers in Govt./Semi-Govt. Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, failing which by direct recruitment	By promotion/transfer/ deputation : Officers holding analogous posts or with five years regular service in the lower post equivalent to or above Dy. FA & CAO in Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Deptt/Public Sector or Autonomous Body Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Shipping —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An officer having wide experience in the field as nominated by Ministry of Shipping —Member

ANNEXURE-III

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF TRAFFIC MANAGER

Name of Post	Pay Scale (Rs.)	Whether selection or non-selection post	Age limit for Direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5
Traffic Manager	18500-450-23900	Selection by merit for which the bench-mark in the overall grading in the Confidential Rolls should not be below "Very Good"	45 years	(i) **ESSENTIAL :** Educational qualification : Degree of a recognized University or equivalent (ii) **EXPERIENCE** : Atleast 10 years experience in a Managerial Capacity dealing with sea traffic/transportation, preferably connected with a Major Port in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Department/Public Sector or Autonomous Body.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/ transfer/ deputation	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/ transfer	In case of recruitment by promotion/ deputation/ Transfer, grades from which deputation/ transfer to be made	The composition of selection committee
6	7	8	9	10
Age : No. Qualification : Yes	2 years	By promotion/transfer/ deputation from the major Ports, failing which by transfer or deputation of officers in Govt./Semi-Govt. Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, failing which by direct recruitment.	By promotion/transfer/ deputation : Officers holding analogous posts or with five years regular service in the lower post equivalent to or above Deputy Traffic Manager in Major Port Trust/ Govt. or Semi-Govt. Deptt/ Public Sector or Autonomous Body (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Shipping —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An officer having wide experience in the field as nominated by the Ministry of Shipping —Member

ANNEXURE-IV

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF CHIEF ENGINEER

Name of Post	Pay Scale (Rs.)	Whether selection or non selection post	Age limit for Direct recruitment	Education and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5
Chief Engineer	18500-450-23900	Selection by merit for which the bench-mark in the overall grading in the Confidential Rolls should not be below "Very Good"	45 years	(i) **ESSENTIAL:** Educational qualifications : A degree in Civil Engineering of a recognized University or equivalent (ii) **EXPERIENCE**: At least 10 years experience in a Managerial Capacity in Port Planning and Construction in a Major Port Trust/ Govt. or Semi-Govt. Department/Public Sector or Autonomous Body. (iii) **Desirable**: Experience in Project Management in a responsible position.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/ transfer/ deputation	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/ transfer	In case of recruitment by promotion/deputation/ Transfer grades from which deputation/ transfer to be made	The composition of selection committee
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Age : No Qualification : Yes	2 years	By promotion/Transfer/deputation By promotion/transfer/ deputation from the Major Ports, failing which by transfer on deputation of Officers in Govt./Semi-Govt. Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, failing which by direct recruitment.	By promotion/transfer/ deputation : Officers holding analogous posts or with five years regular service in the lower post equivalent to or above Supdt. Engineer/Dy.Chief Engineer in any Major Port Trust/ Govt. or Semi-Govt. Deptt/Public Sector or Autonomous Body. (Period of deputation shall not exceed ordinarily three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Shipping —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An officer having wide experience in the field as nominated by the Ministry of Shipping —Member

ANNEXURE-V

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF CHIEF MECHANICAL ENGINEER

Name of Post	Pay Scale (Rs)	Whether selection or non selection post	Age limit for Direct recruitment	Education and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5
Chief Mechanical Engineer	18500-450-23900	Selection by merit for which the bench-mark in the overall grading in the Confidential Rolls should not be below "very Good"	45 years	(i) **ESSENTIAL** : Educational qualifications : Degree in Mechanical or Electrical Engineering from recognized University or equivalent OR First Class MOT Certificate (Motor) or equivalent (ii) **EXPERIENCE** : 10 years experience in a Managerial Capacity dealing with Mechanical, Electrical or Marine Engg. Works in a Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Deptt/ Public Sector or Autonomous Body. (iii) **Desirable** : Experience in Managerial capacity in Project Management and in operation of Cargo and handling equipments and Port crafts.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/ transfer/ deputation	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/ transfer.	In case of recruitment by promotion/ deputation Transfer, grades from which deputation/ transfer to be made	The composition of selection committee
6	7	8	9	10
Age : No. Qualification : Yes	2 years	By promotion/transfer/ deputation from the major Ports, failing which by transfer on deputation of officers in Govt./Semi-Govt. Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, failing which by direct recruitment	By promotion/transfer/ deputation : Officers holding analogous posts or with two years regular service in the post of Addl. C.M.E. or minimum of five years regular service in the lower post equivalent to or above Executive Engineer (M)/ Executive Engineer (E)/ Or Merine Engineer Grade-I in Major Port Trust/Govt. or Semi-Govt. Deptt/Public Sector or Autonomous Body (Period of Deputation ordinarily not exceeding three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of shipping —Chairman (ii) Chairman Kandla Port Trust —Member (iii) An officer having wide experience in the field as nominated by the Ministry of Shipping—Member

ANNEXURE-VI

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DEPUTY CONSERVATOR

Name of Post	Pay Scale (Rs)	Whether selection or non selection post	Age limit for Direct recruitment	Education and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5
Deputy Conservator	18500-450-23900	Selection by merit for which the bench-mark in the overall grading in the Confidential Rolls should not be below "very Good"	45 years	**ESSENTIAL**: (ii) Professional Certificate of competency as Master of foreign going vessel issed by Ministry of Surface Transport, or equivalent. (ii) **EXPERIENCE**: 10 years experience as Master of foreign going ship or in pilotage and dredging in a Major Port Trust. (iii) **Desirable**: Experience in Port operations.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/ transfer/ deputation	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/transfer.	In case of recruitment by promotion/deputation transfer, grades from which deputation/ transfer to be made	The compositon of selection committee
6	7	8	9	10
Age : No. Qualification : Yes	2 years	By promotion/transfer/ deputation from the Major Ports, failing which by transfer or deputation of officers in Govt/Semi-Govt Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, failing which by direct recruitment.	By promotion/transfer/ deputation : Officer holding analogous posts or with three years regular service in the lower post equivalent to or above Harbour Master in any Major Port (Period of deputation not to exceed ordinarily three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Shipping —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An officer having wide experience in the field as nominaled by Ministry of Shipping—Member

ANNEXURE-VII

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF CHIEF MEDICAL OFFICER

Name of Post	Pay Scale (Rs)	Whether selection or non selection post	Age limit for Direct recruitment	Education and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5
Chief Medical Officer	14500-350-18700	Selection by merit for which the bench-mark in the overall grading in the Confidential Rolls should not be below "Very Good"	45 years	(i) **ESSENTIAL**: Educational qualifications : Should be a Medical Graduate of a recognized University with the post-graduate degree/diploma in any branch of medical science. (ii) **EXPERIENCE**: Should have at least 10 years of professional experience including at least 5 years administrative experience in any Major Hospital belonging to Major Port Trust/ Govt. or Semi-Govt. Department/ Autonomous or Public Sector Organisation.

Whether age and educational equalification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/ transfer/ deputation	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/ transfer.	In case of recruitment by promotion/ deputation' transfer, grades from which deputation/ transfer to be made	The compositon of selection committee
6	7	8	9	10
Age No Qualification : Yes	2 years	By promotion/transfer/ deputation from the Major Ports, failing which by transfer of deputation of officers in Govt/Semi-Govt Organisations/Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, failing which by direct recruitment.	**By promotion:** Officers with 5 years regular service as Senior Medical Officer in Kandla Port Trust. **By Transfer/Deputation:** Officers holding analogous posts or with five years regular service in the lower post equivalent to or above Sr. Medical Officer in any Major Port Trust/Govt. or Semi Govt. Department/Public Sector or Autonomous Body. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Shipping Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An officer having wide experience in the field as nominated by Ministry of Shipping—Member

ANNEXURE-VIII

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF HEAD OF OFFSHORE OIL TERMINAL DEPARTMENT

Name of Post	Pay Scale (Rs.)	Whether selection or non selection post	Age limit for Direct recruitment	Education and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5
Chief Operations Manager	18500-450-23900	Selection by merit for which the bench-mark in the overall grading in the Confidential Rolls should not be below "Very Good"	Not exceeding 45 years	(i) **ESSENTIAL**: Degree in Civil Engg./Mech. Engg./Elect. Engg./Marine Engineering/Certificate of Competency as Mo.T. Post-graduation in Management will be preferred. (ii) **EXPERIENCE**; 10 years experience in a responsible capacity in Civil Engineering/ Mechanical Engg./Electrical Engg./ Marine Engg. in any major Port Trust/ Govt. or Semi Govt. Deptt./ Public Sector or Autonomous Body. (iii) **DESIRABLE**: Experience in Administration and Project Management in a responsible position.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in case of promotion/ transfer/ deputation	Period of probation	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/transfer	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which deputation/ transfer to be made	The composition of selection committee
6	7	8	9	10
Age : No. Qualification : Yes	2 years	By promotion/transfer/ deputation from the Major Ports, failing which by transfer or deputation of officers in Govt./Semi-Govt. Organisations/ Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies, failing which by direct recruitment.	By promotion/transfer/ deputation : Officers holding analogous posts, or with seven years regular service in the lower posts equivalent to or above Executive Engineer (Civil)/ (Mechanical)/(Electrical)/ Marine Engineer in a Major Port Trust/Govt. or Semi Govt. Department/ Public Sector or Autonomous Body. (Period of deputation not to exceed ordinarily three years).	(i) Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of shipping —Chairman (ii) Chairman, Kandla Port Trust —Member (iii) An officer having wide experience in the field as nominated by the Ministry of Shipping —Member

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.